



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273788
CG-DL-E-24062026-273788

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3207]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3207]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASADHA 1, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

का.आ. 3340(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1097(अ), दिनांक 4 अगस्त 2005 द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के किमी 539.500 से किमी 440.000 तक (वाडापे – गोंडे खंड) का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा गया है;

और यतः, उपरोक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्राधिकरण ने मैसर्स मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय गेमन हाउस, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-400025 में है (जिसे इसके पश्चात् "कंसेसनेयर" कहा जाए) के साथ महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के (वाडापे – गोंडे खंड) किमी 539.5000 से किमी 440.000 तक (जिसे इसके पश्चात् उक्त खंड कहा जाए) के बनाने, संचालन और और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर निर्माण हेतु एक करार किया है।

और यतः, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/स्थायी पुल/राष्ट्रीय राजमार्ग पर अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रह), नियम 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा का.आ. संख्या 912 (अ), दिनांक 21.04.2010 द्वारा उक्त खंड के वाणिज्यिक संचालन की तिथि या आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन तिथि, जो भी बाद में हो, और समाप्ति तिथि तक शुल्क एकत्र करने और उसे बनाए रखने के लिए कंसेसनेयर को अधिकृत किया है।

और यतः, बीओटी (टोल) रियायत अवधि दिनांक 06.05.2026 को समाप्त हो गई है तथा उक्त परियोजना खंड कंसेसनेयर से प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 912(अ) दिनांक 21.04.2010 के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण जारी रखा गया है। इस अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही अधिसूचना संख्या का.आ. 912(अ) दिनांक 21.04.2010 तदनुसार अधिक्रमित हो जाएगी।

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पुराना एनएच-03 / नया एनएच-848 के गोंडे - वाडापे खंड के डिजाइन किमी 440.000 से किमी 536.640 (मौजूदा किमी 440.000 से किमी 536.640 तक) की निर्माण अवधि के लिए निवल सड़क खंड लंबाई 19.821 (सारणी 2) और 0.84 किमी (0.084 किमी की लंबाई वाली, सारणी-3) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए नीचे सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दरों का 75% तथा निवल सड़क खंड लंबाई 76.359 (सारणी-2) और 3.76 किमी (0.376 किमी की लंबाई वाली, सारणी-3) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए नीचे सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दरों का 100% और निर्माण समाप्त होने के पश्चात निवल सड़क खंड लंबाई 96.180 किमी (सारणी-2) और 4.60 किमी (0.460 किमी की लंबाई वाली, सारणी-3) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए नीचे सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट अनुसार वाहन के प्रकार के लिए शुल्क उदग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदग्रहीत और संग्रहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी-2				
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
	निर्माण के दौरान		निर्माण के पश्चात	
महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के घोटी गाँव के पास पुराना एनएच-3 / नया एनएच-848 के किमी 455.485 पर	19.821 [60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए, बगैर किसी वार्षिक वृद्धि के उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%	47.987 [60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	28.166 [60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%		
महाराष्ट्र राज्य के थाणे जिले के पदघा गाँव के पास पुराना एनएच-3 / नया एनएच-848 के किमी 531.690 पर	48.193 [60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%	48.193 [60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

निर्माण अवधि के दौरान

सारणी - 3.1			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	जिस दर पर शुल्क देय है
महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के घोटी गाँव के पास पुराना एनएच-3 / नया एनएच-848 के किमी 455.485 पर	0.084 [^]	0.84	चार या अधिक लेन के लिए, बगैर किसी वार्षिक वृद्धि के उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%
	0.249 ^{^^}	2.49	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
महाराष्ट्र राज्य के थाणे जिले के पदघा गाँव के पास पुराना एनएच-3 / नया एनएच-848 के किमी 531.690 पर	0.127 ^{^^^}	1.27	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^ संरचनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
	किमी से	किमी तक		
क	निर्माण के दौरान			
(i)	445.114	445.198	आरओबी	0.084
कुल लंबाई				0.084

^^ संरचनाओं (60 मीटर से अधिक लंबाई) का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
	किमी से	किमी तक		
क	निर्माण के दौरान			
(i)	460.493	460.571	फ्लाईओवर	0.078
(ii)	478.627	478.733	बड़े पुल	0.106
(iii)	481.133	481.198	बड़े पुल	0.065
कुल लंबाई				0.249

^^^ संरचनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
	किमी से	किमी तक		
क	निर्माण के दौरान			
(i)	494.72	494.788	आरओबी	0.063
(ii)	529.588	529.652	बड़े पुल	0.064
कुल लंबाई				0.127

निर्माण के पश्चात:

सारणी - 3.2			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	जिस दर पर शुल्क देय है
महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के घोटी गाँव के पास पुराना एनएच-3 / नया एनएच-848 के किमी 455.485 पर	0.333^	3.33	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

महाराष्ट्र राज्य के थाणे जिले के पदघा गाँव के पास पुराना एनएच-3 / नया एनएच-848 के किमी 531.690 पर	0.127 ^{^^}	1.27	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल लंबाई	0.460	4.60	

^ संरचनाओं (60 मीटर से अधिक लंबाई) का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
	किमी से	किमी तक		
क	निर्माण के दौरान			
(i)	445.114	445.198	आरओबी	0.084
(ii)	460.493	460.571	फ्लाईओवर	0.078
(iii)	478.627	478.733	बड़े पुल	0.106
(iv)	481.133	481.198	बड़े पुल	0.065
कुल लंबाई				0.333

^{^^} संरचनाओं (60 मीटर से अधिक लंबाई) का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
	किमी से	किमी तक		
क	निर्माण के दौरान			
(i)	494.72	494.788	आरओबी	0.063
(ii)	529.588	529.652	बड़े पुल	0.064
कुल लंबाई				0.127

3. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 350 रूपए (तीन सौ पचास रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए, निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:

सारणी - 4		
देय राशि	अधिकतम संख्या एक अनुमत यात्रा मार्ग	वैधता की अवधि
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीने

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. नियमों के अंतर्गत अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुमेय भार से अधिक भार से लदे यांत्रिक वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार से लदे वाहन के प्रवेश के लिए वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति शुल्क वसूली एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 में निर्दिष्ट शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
9. उपरोक्त सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत **790.38 करोड़** रुपए है। भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है। प्राप्त उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एमएचडीआईवी-20017/11/2025-पीआईयू नासिक ई-257446]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2026

S.O. 3340(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways (number S.O. 1097(E) dated the 4th August, 2005 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 539.500 to kilometer 440.000 (Vadape - Gonde section) of National Highway No. 3 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the said act, the Authority has entered into an agreement with M/s Mumbai Nashik Expressway Limited, having registered office at Gammon House, veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai-400025 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development of the stretch from km 539.500- km 440.000 (Vadape - Gonde section) of National Highway No. 3 in the State of Maharashtra (hereinafter referred to as the said section) on Build, Operate and Transfer (BOT) basis;

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways (Collection of Fees by any Person for the use of Section of the National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways), Rules 1997, the Central Government, by notification of the Government of India vide S.O. No. 912(E), dated 21.04.2010, authorised Concessionaire for collect and retain fees on and from the date of Commercial operation of the said section or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later: and till the termination date.

And whereas, the BOT (Toll) Concession Period has expired on 06.05.2026 and the said section is taken over by Authority from Concessionaire. NHAI has continued User Fee Collection as per Notification No. S.O.912 (E) dated 21.04.2010. On issuance of this Notification the Fee Notification No. S.O.912 (E) dated 21.04.2010 will be superseded accordingly.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fees during construction period at 75% of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 19.821 Km (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 0.84 km (having length of 0.084 km (Table-3) and at 100% of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 76.359 kms (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 3.76 km (having length of 0.376 km (Table-3) and after completion of construction at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 96.180 Km (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 4.60 km (having length of 0.460 km (Table-3) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Gonde - Vadape section from design kilometer 440.000 to kilometer 536.640 (existing km 440.000 to km 536.640) of National Highway number Old NH-03/ New NH-848 in the State of Maharashtra, and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely:-

Table-2				
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
	During Construction		After construction	
At Km. 455.485 of Old NH-3/ New NH-848 near Ghoti village in Nashik district of State Maharashtra	19.821 [Excluding length of structures (>60m)]	75% of the base rates mentioned in Table-1 above without any annual increase	47.987 [Excluding length of structures (>60m)]	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above
	28.166 [Excluding length of structures (>60m)]	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above		
At Km. 531.690 of Old NH-3/ New NH-848 near Padgha village in Thane district of State Maharashtra	48.193 [Excluding length of structures (>60m)]	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above	48.193 [Excluding length of structures (>60m)]	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

During Construction Period

Table-3.1			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km. 455.485 of Old NH-3/ New NH-848 near Ghoti village in Nashik district of State Maharashtra	0.084 [^]	0.84	75 % for four or more lanes of the base rates mentioned in Table- 1 above without any annual increase
	0.249 ^{^^}	2.49	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km. 531.690 of Old NH-3/ New NH-848 near Padgha village in Thane district of State Maharashtra	0.127 ^{^^^}	1.27	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details of structures are as under:

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (Km.)
	From Km.	To Km		
A	During Construction			
(i)	445.114	445.198	ROB	0.084
Total length				0.084

^^The details of structures (>60m length) are as under:

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (Km.)
	From Km.	To Km		
A	During Construction			
(i)	460.493	460.571	Flyover	0.078
(ii)	478.627	478.733	Major Bridge	0.106
(iii)	481.133	481.198	Major Bridge	0.065
Total length				0.249

^^^The details of structures are as under:

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (Km.)
	From Km.	To Km		
A	During Construction			
(i)	494.72	494.788	ROB	0.063
(ii)	529.588	529.652	Major Bridge	0.064
Total length				0.127

After Construction of Six Laning:

Table-3.2			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km. 455.485 of Old NH-3/ New NH-848 near Ghoti village in Nashik district of State Maharashtra	0.333^	3.33	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

At Km. 531.690 of Old NH-3/ New NH-848 near Padgha village in Thane district of State Maharashtra	0.127^{^^}	1.27	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above
Total Length	0.460	4.60	

^The details of structures (>60m length) are as under:

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (Km.)
	From Km.	To Km		
A	During Construction			
(i)	445.114	445.198	ROB	0.084
(ii)	460.493	460.571	Flyover	0.078
(iii)	478.627	478.733	Major Bridge	0.106
(iv)	481.133	481.198	Major Bridge	0.065
Total length				0.333

^^The details of structures (>60m length) are as under:-

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (Km.)
	From Km.	To Km		
A	During Construction			
(i)	494.72	494.788	ROB	0.063
(ii)	529.588	529.652	Major Bridge	0.064
Total length				0.127

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 350 (Rupees Three Hundred and Fifty Only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in 10 of the said rules.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
10. The estimated capital cost of the project is Rupees 790.38 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. MHDIV-20017/11/2025-PIU Nashik E-257446]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.